न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील संख्या 01/2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 लोकेश कुमार पुत्र छगनलाल उम्र 62 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी ग्राम केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy - Not Official

1 सहायक भू–प्रबंध अधिकारी डीडवाना मु0 सीकर।

2 शांति देवी पत्नी घनश्याम।

3 कैलाश देवी पत्नी सोहनलाल।

4 लीलाधर पुत्र सोहनलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्व आदेश सहायक भू प्रबंध अधिकारी दिनांकित 02.08.18 जिसके द्वारा ग्राम केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर की तन में अवस्थित भूमि पुराना खसरा नम्बर 254 में नया खसरा नम्बर 334 / 1249 रकबा 0.05 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता गलत रूप से दर्ज किये जाने के बावजूद दर्ज रिकार्ड के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखे जाने का गोलमाल आदेश पारित किया गया है।

उपस्थित

1. श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–22.11.2018

यह अपील सहायक भू–प्रबंध अधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 02.08.2018 को पारित आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है जिसके द्वारा ग्राम केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर की तन में अवस्थित भूमि पुराना खसरा नम्बर 205,254 में नया खसरा नम्बर 334 / 1249 रकबा 0.05 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता जो सर्वे के दौरान दर्ज किया गया है, के सम्बंध में यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया है।

Lano

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपील के विचारण के दौरान रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 की और से अपील में पक्षकार संयोजित किये जाने विधिक आवेदन प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार किया जाकर उन्हे बतौर रेस्पोडेंट पक्षकार बनाया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि वर वक्त सर्वे मौके पर कोई रास्ता मौजुद नही था। परन्तु सर्वे शीट एवं पर्चा में गलत रूप से रास्ते का अंकन हो जाने के अपीलांट ने ऐतराज प्रस्तुत किया जिस पर भू–मापक, निरीक्षक की रिपोर्ट ली गई। जिनके मुताबिक मौके पर कोई रास्ता नया होना नही पाया गया था तथा न ही उपखण्ड अधिकारी डिडवाना का कोई रास्ता दर्ज किये जाने सम्बंधित आदेश आज दिन प्रभाव में है इसलिए बिना किसी आधार के गलत रूप से सर्वे शीट एंव पर्चा में दर्ज किये गये रास्ते के अंकन को हटाया जावें तथा मौके पर मौजुद कुण्ड को खसरा नम्बर 334/1249 के रूप में दर्ज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा जिस आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत की गई है वह कोई आदेश ही नही है। केवल मात्र मामला न्यायालय में विचाराधीन होना मानते हुये यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है। रास्ता सर्वे में मौके पर मौजुद रहा है भू–मापक की रिपोर्ट मौका स्थिति के विपरित तथा एक पक्षीय है विवादित रास्ते के सम्बंध में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तथा ग्राम पंचायत द्वारा भी रास्ता होने का कथन किया गया है। अत अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकार्ड से यह साबित है कि ग्रम केराप की भूमि खसरा नम्बर 254 के राजस्व रिकार्ड/नक्शासीट में कोई रास्ता दर्ज नही रहा है विवादित रास्ते का अंकन जरिये नामान्तकरण संख्या 965 दिनांक 02.04.2017 से हुआ है। जिसके तहत खसरा नम्बर 254 में से खसरा नम्बर 1068/254 रकबा 0.06 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ते का अंकन स्वीकार किया गया है तथा जरिये नामान्तकरण संख्या 992 दिनांक 5.08.2017 से विवादित रास्ते का अंकन विलोपित कर भूमि की किस्म बारानी प्रथम अंकित की गई है।

सर्वे के दौरान गत खसरा नम्बर 1068/254 का नया नम्बर 334/1249 रकबा 0.05 हैक्टेयर दर्ज कर किस्म गैरमुमकिन रास्ता अंकित कर पर्चा जारी किया गया है। इस पर्चे पर गैरमुमकिन रास्ते के अंकन के विरूद्व अपीलांट की और से आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जिस पर भू–मापक एवं निरीक्षक से रिपोर्ट ली गई जिसमें उन्होने उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित दोनों नामान्तकरणों का रिकार्ड में अमल नही होना तथा सर्वेशीट में तरमीम के वक्त रास्ता कटा हुआ होना अंकित किया है। इसके पश्चात दिनांक 26.07.2018 को श्री भेभाराम भू–मापक (संविदा) से मौका रिपोर्ट मागी गई जिस पर भू–मापक ने दिनांक 30.07.2018 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की । जिसमें अंकन किया गया है कि मौके पर कोई रास्ता नही है तथा न ही मौके पर रास्ते के कोई निशानात है मौके पर एक काफी पुराना कुण्ड बना हुआ है। इस स्तर पर सहायक भू–प्रबंध अधिकारी सीकर ने दिनांक 02.08.2018 को मुताबिक मौका रिपोर्ट भू–मापक एवं उपखण्ड अधिकारी आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 992 दिनांक 08.08.2017 के आधार पर यदि किसी न्यायालय में मामला विचाराधीन नही हो तो अंकन कर दिया जावें। अन्यथा यथास्तिथि बनाई रखे जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकार्ड में भूमि गत खसरा नम्बर 254 में से कोई रास्ता मौजुद होना नही पाया जाता है। भू-मापक की रिपोर्ट के अनुसार भी मौके पर न तो रास्ता है न ही रास्ते के निशानात है अपितु मौके पर पुराना कुण्ड बना हुआ पाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई आधार नही है जिससे गैरमुमकिन रास्ते के अंकन को विधि सम्मत माना जा सकें एवं यथावत कायम रखा जा सकें। सर्वे के दौरान किया गया रास्ते का अंकन प्रथम दृष्टया ही बिना किसी आधार के किया जाना साबित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर सहायक भू-प्रबंध अधिकारी सीकर द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 02.08.2018 खारिज किया जाता है। इस आदेश की पालना में पर्चा, सर्वेशीट में किया गया गैरमुमकिन रास्ते का अंकन विलोपित करने का आदेश दिये जाते है एवं नया खसरा नम्बर 334/1249 में निर्मित पुराने कुण्ड को ध्यान में रखते हुये खसरा नम्बर 334/1249 जो गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया गया था उसे कुण्ड दर्ज किया जाकर रकबा 0.01 हैक्टेयर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष रकबा 0.04 हैक्टेयर मूल खसरा नम्बर 334 में समायोजित करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

22/XI/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी,
सीकर